राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3700/2025

सीमा मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. सीमा कुमारी मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीतरवाड़ा कलां जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2025
आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर , अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 2011 की सीधी भर्ती में वर्ष 2012 में चयन किया गया था अपीलार्थी का मेरिट क्रमांक 1845 तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का मेरिट क्रमांक 1916 था, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.09.2012 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी से मेरिट में बाद में होने के बावजूद नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी को 05.03.2013 (अनुलग्नक–3) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के समान दिनांक 14.09.2012 से अपीलार्थी को नोशनल फिक्सेशन नहीं किया और न ही वरिष्ठता प्रदान की, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ था। उक्त भर्ती में सुमनलता जैमन को भी वर्ष 2016 में नियुक्ति दी गई थी, जिसका नोशनल फिक्सेशन नहीं करने पर सुमनलता जैमन ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11638/2017 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इन्द्राज सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित करने के आदेश जारी किये, जिस पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर सुमनलता जैमन को आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा

दिनांक 20.09.2012 से कनिष्ठ के समान नोशनल फिक्सेशन करते हुए समस्त परिलाभ दिये गये। अपीलार्थी के द्वारा बार–बार प्रस्तुत करने के बावजूद समान अनुतोष प्रदान नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य मनमान, पक्षपातीपूर्ण एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के समान दिनांक 14.09.2012 से फिक्सेशन करते हुए समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान की जाये, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य